

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 48/2024

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री वीराराम पुत्र श्री फुसाराम कलबी निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती
राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-




1. सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.04.2013 क्षेत्रफल 252 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही ने दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत भावरी को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के आदेश की अनुपालना में पंचायत समिति आबूरोड के दो सदस्यीय कमेटी के द्वारा की गई, जिसमें उक्त विक्रय विलेख की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से उक्त विक्रय विलेख निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख की कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 के अनुसार करने का प्रावधान है, परन्तु जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपूर्ण व दोषपूर्ण कार्यवाही कर नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा


जिला कलेक्टर, सिरोही

नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में सरपंच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर का अभाव पाया गया, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) में अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ दिए जाने की नियत से नियमों के विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। चूंकि नियम 157(1) द्वारा जारी विक्रय विलेख 23-क के अनुसार अवैधानिक प्रक्रियानुसार है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर विक्रय विलेख जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.04.2013 क्षेत्रफल 252 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ग्राम पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ग्राम पंचायत भावरी को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार होने से उक्त पट्टा विधि अनुसार पारित किया गया है। प्रश्नगत पट्टा की भूमि अप्रार्थी संख्या दो व उसके पूर्व रसाधिकारी की पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि है। यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भावरी के तत्कालीन सरपंच एवं पट्टा होल्डर के विरुद्ध पंचायत रिविजन सर्वथा मिथ्या एवं बनावटी आक्षेपों के आधार पर पेश की है, जिसमें मौके पर प्रार्थी का मकान नहीं हो, ऐसा कोई कथन का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल ग्राम पंचायत में उपलब्ध मिसल में तारीख व आदेशिका में हस्ताक्षर नहीं होने का उल्लेख किया है। उक्त पत्रावली में पुराना आवास का नजरी नक्शा पेश किया हुआ है। पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी करने का उल्लेख किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या दो व अन्य गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हुये है तथा मौका निरीक्षण नक्शा शुल्क तथा पट्टा बनाने के आवेदन शुल्क भी अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जमा करवाया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो की ओर से सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण की गयी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। कार्यवाही रजिस्टर में बैठक का संधारण करना ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का कर्तव्य निर्वहन में आता है, जिन्होंने भी नियमानुसार बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में संधारित की है। अधिक पट्टे एक साथ जारी करते समय अगर मिसल में कोई त्रुटी सहवन से रह भी गई है तो उससे उक्त पट्टा अवैध नहीं होता है। उक्त त्रुटि को कभी भी दुरुस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र गलत कथनों के आधार पर पेश किया गया है। यह कि पट्टा जारी करने के लगभग 11 वर्ष पश्चात उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो देरीना होने से अवधि बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो का कदीम से पुराना आवास का मकान बना हुआ है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या दो ने नियमानुसार पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और निर्मित मकान की पूर्ण रूप से जांच कर अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं की गई है। यह कि प्रार्थी द्वारा पूर्णतया गलत, मनगढ़ंत कथनों के आधार पर पेश किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावे व अप्रार्थी को प्रार्थी से विशेष हर्जाना के रूपये 10,000/- दिलाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिगोति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जिला कलेक्टर, बिरौही

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 38 दिनांक 24.04.2013 क्षेत्रफल 252 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:
- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रुपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।
- ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रुपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा दिनांक 05.04.2013 को प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किया गया था। प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं की गई है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या दो का कदीम से पुराना आवास का मकान बना हुआ है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या दो ने नियमानुसार पट्टा प्राप्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और निर्मित मकान की पूर्ण रूप से जांच कर अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के बाद की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत के स्तर पर ही सम्पन्न की गई है और उक्त विक्रय विलेख जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना किए जाने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही था और ग्राम पंचायत भावरी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं किया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई भूल कारित किया जाना पाया जाता है। इसके अलावा पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर का अभाव पाया जाना भी ग्राम पंचायत के स्तर पर ही की गई गलती है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) की तहत विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विक्रय विलेख प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है और ना ही उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री श्याम सुन्दर कुमावत पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आवूरोड एवं श्री हीराराम पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आवूरोड द्वारा प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन में कुल 118 पत्रावलियों में नियमों की पूर्ण पालना नहीं करते



जिला कलेक्टर, बिरौली

पट्टा जारी करने की कार्यवाही दोषपूर्ण पाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, परन्तु विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा केवल 20 पट्टों से ही सम्बन्धित निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं तथा प्रार्थी द्वारा शेष पट्टों के सम्बन्ध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है और प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर मूल परिवाद की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादी द्वारा किस प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके अभाव में प्रश्नगत पट्टों की विधिकता, औचित्य व अनियमितता के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में डिकटेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही